कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर,म.प्र.

क्रमांक/545/री.ए.डी.एम. /2020 इन्दौर, दिनांक 30 /03/2020

" आदेश"

पूर्व जारी आदेश क्रमांक कमांक/567–568/री0ए0डी0एम0/2020, दिनांक 29.03.2020 के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं का समावेश उक्त पूर्व जारी आदेश में किया जाता है :–

1. दिनांक 30/03/2020 को सांय. 05.00 बजे से 07.00 बजे तक घर–घर दूध प्रदाय किया जावेंगा ।
2. इस कार्य में लगे व्यक्तियों को जिनके पास दूध पैकेट्स है उन्हें नहीं रोका जावेंगा ।
3. इसके अतिरिक्त आगामी दिवसों में प्रतिदिन प्रातः 08.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक सभी दूध व्यवसायियों को घर–घर दूध प्रदाय करने की छूट रहेंगी । इस कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश आदेश से छूट प्रदान की जाती है, जैसे दूध वाहन, दुध विक्रेता का वाहन आदि ।
4. इन्दौर शहर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में घर से बाहर जाकर दूध लाने या अन्य कार्य की अनुमति नहीं होगी।
5. यह भी आदेशित किया जाता है कि दिनांक 31/03/2020 को सभी शेड्यूल बैंकों की क्लोजिंग होने से केवल प्रातः 11.00 बजे से सांय. 05.00 बजे तक घर से बैंक व बैंक से सीधे घर आने की अनुमति रहेंगी । बैंक का मुख्य द्वार बंद कर केवल क्लोजिंग से संबंधित कार्य ही किया जावेंगा । आम जन के किसी भी प्रकार के बैंक संबंधी कार्य नहीं किये जावेंगें और कर्मचारी के अलावा अन्य कोई बैंक में प्रवेश करेंगा ।
6. गैस सिलेण्डर घर पंहुचाने हेतु डिलेवरी बाय व वाहन चालक छूट रहेंगी । गैंस एजेन्सी के आफिस के मुख्य दरवाजे को बंद कर अन्दर आफिस में कार्य संपादित किया जावेंगा किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जावेंगा ।
7. यह भी आदेशित किया जाता है कि जो बाहर के अध्ययनरत् छात्र होस्टलों में निवास कर रहें है या ऐसी लेबर जो किसी प्रोजेक्ट में अथवा ठेकेदार द्वारा इन्दौर बुलाई गई है, इनके भोजन व रहने की समस्त व्यवस्था संबंधित होस्टल मालिक/प्रोजेक्ट मैनेजर,/ठेकेदार को करना होगी । उक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित होस्टल मालिक/प्रोजेक्ट मैनेजर,/ठेकेदार के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेंगी ।

Scanned with CamScanner

8. यदि कही छात्रों को अन्य स्थान से टिफिन व्यवस्था से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है तो ऐसे टिफिन संचालकों को केवल टिफिन होस्टल तक पहुचांने हेतु आने–जाने के लिये इस आदेश से छूट रहेगी ।

9. विभिन्न कम्पनियों के एलपीजी बाटलिंग प्लांट में कार्यरत् सभी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उससे जुड़ा परिवहन तथा आईल कंपनी में कार्यरत् स्टॉफ/अधिकारी एंव परिवहन पर प्रतिबंध से छूट रहेंगी । उक्त सभी संस्थान में परिचय–पत्र पर, उक्त सभी के आवागमन की अनुमति रहेंगी ।

10. धार/उज्जैन/पीथमपुर/इन्दौर जिला/देवास जिले के सभी दवाईयों से जुड़े संस्थान जैसे गोदाम, निर्माता यूनिट्स, दवा दुकानों के संचालगण, परिवहन एवं इनके अधिकारी/कर्मचारियों/वाहनों को छूट रहेंगी । पुलिस इस सभी श्रेणी के दवा संस्थानों/संस्थाओं से जुड़े अधिकारी/अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके परिचय पत्र के आधार पर जाने की अनुमति देवें ।

शेष आदेश पूर्ववत लागू रहेंगा ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर

पृ०क्र०576/रीoएoडीoएमo/2020 इन्दौर, दिनांक 30/03/2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
7. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
8. एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), ..., इन्दौर
9. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर
10. थाना प्रभारी, थाना..जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
11. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाश हेतु अग्रेषित।
12. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।
14. संबंधित समस्त अधिकारी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला इन्दौर

Scanned with CamScanner